न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 72/2024

प्रार्थीगण

1. सुरेशकुमार पुत्र तलकाराम जी, जाति– माली, निवासी– राजगढ़, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. कान्तादेवी पुत्री तलकाराम जी पत्नी लालाराम जी, जाति– माली, निवासी– सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
3. कमलादेवी पुत्री तलकाराम जी पत्नी लाखाराम जी, जाति– माली, निवासी– सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, लुणोल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, लुणोल, जिला– सिरोही
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, लुणोल, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही
3. श्री अमराराम पुत्र तलकाराम जी, जाति– माली, निवासी– राजगढ़, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
4. श्री गोपाल माली पुत्र तलकाराम जी, जाति– माली, निवासी– राजगढ़, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
5. श्री तलकाराम पुत्र गमनाराम जी, जाति– माली, निवासी– राजगढ़, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थीगण (निगरानीकार) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण (निगरानीकार) द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा अप्रार्थी अमराराम पुत्र तलकाराम जी, निवासी– राजगढ़ के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 61 दिनांक 20–02–2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, लुणोल से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की दिनांक 17–12–2025 को बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के संयुक्त स्वामित्व तथा कब्जे की पुश्तैनी सम्पत्ति आवासीय मकान गाँव राजगढ में आया हुआ है, जो प्रार्थी के दादा स्वर्गीय श्री गमना पुत्र गोमाजी माली के पुराने कब्जे भोगवटे व स्वामित्व का था, जिसके उत्तर में गणेश पुत्र लखमाजी का भूखण्ड, दक्षिण में छोगाराम पुत्र लालाजी का मकान, पुर्व दिशा में आम रास्ता तथा पश्चिम दिशा में पडत भूमि बाद गली है एवं नाप उत्तर में 50 फीट, दक्षिण में 50 फीट,

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पूर्व में 31 फीट व पश्चिम में 39 फीट कुल क्षेत्रफल 1750 वर्गफीट है। उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थीगण के दादा ने अपने पुरे जीवनकाल तक निवास किया एवं उक्त सम्पत्ति पर पुश्तैनी आवासीय मकान बने हुए है। उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी 3 से 5, संयुक्त रूप से निवास कर रहे है। उक्त नाप व चतुदर्शी की सम्पत्ति का पट्टा प्रार्थीगण की जानकारी के बिना अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) अमराराम पुत्र तलकाराम जी के नाम से ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत है। उक्त सम्पत्ति पुश्तैनी होने से अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) अमराराम पुत्र तलकाराम जी को स्वयं के अकेले के नाम से पट्टा जारी करवाने का कोई हक अधिकार नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत, लुणोल ने अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) अमराराम पुत्र तलकाराम जी को अनुचित फायदा पहुँचाने के आशय से उक्त गलत व विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगण को उक्त पट्टा जारी होने की जानकारी, यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के पिछले महिनें में होने पर बिना किसी विलम्ब के इस न्यायालय में यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आवासीय मकान पुश्तैनी है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) अमराराम पुत्र तलकाराम जी ने पुश्तैनी आवासीय मकान में सभी का संयुक्त स्वामित्व हक अधिकार होते हुए भी प्रार्थीगण की जानकारी के बिना उक्त पट्टा, ग्राम पंचायत, लुणोल से मेल मिलाप कर जारी करवाया है, जो प्रार्थीगण के हक अधिकार समाप्त करने के आशय से जारी करवाया है। प्रार्थीगण के पिता जिवित है तथा बीमार रहते है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसका पट्टा अकेले अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के हक में जारी नहीं किया जा सकता है। आलौच्य पट्टा जारी करने से पुर्व ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानो की पालना नहीं की गई है। पट्टा जारी करने से पुर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया एवं न ही आपत्ति नोटिस जारी किये गये है तथा अन्य किसी भी आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थीगण को भी पट्टा जारी करने से पूर्व कोई सूचना या नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा उक्त पट्टे का पंजीयन भी नहीं करवाया है, जिससे पंजीयन के अभाव में भी उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा अप्रार्थी अमराराम पुत्र तलकाराम जी माली, निवासी– लुणोल के हक में पंचायत प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06–2–2019 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 61 दिनांक 20–02–2019 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06–02–2019 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) अमराराम पुत्र तलकाराम जी, निवासी– राजगढ़ के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1750 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 61 दिनांक 20–2–2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, पुराने गृहों के विनियमितिकरण करने का प्रावधान है।

इस संबंध में प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में, उक्त प्रश्नगत पट्टे की सम्पति को प्रार्थीगण के दादा श्री गमना पुत्र गोमाजी माली के पुराने कब्जे भोगवटे व स्वामित्व की सम्पति बताते हुए उस पर पुश्तैनी मकान बने हुए होने का कथन किया है एवं उक्त सम्पति पर उनके दादाजी की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 का संयुक्त रुप से निवास व कब्जा होना बताया है। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 से 5 (तीन से पांच) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये व न ही इनकी ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 व 4, रिश्ते में भाई–बहिन है व अप्रार्थी संख्या 5 (पांच) तलकाराम पुत्र गमनाराम जी, इनके पिता है, लेकिन इस न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य या जांच रिपोर्ट उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 61 दिनांक 20–2–2019 से संबंधित सम्पति, उक्त श्री गमना पुत्र गोमाजी माली, निवासी– लुणोल के पुराने कब्जे भोगवटे व स्वामित्व की सम्पति हो या अप्रार्थी पट्टाधारक अमराराम पुत्र तलकाराम जी की स्वअर्जित सम्पति है अथवा उक्त सम्पति, अप्रार्थी पट्टाधारक अमराराम पुत्र तलकाराम जी को पारिवारिक विभाजन में प्राप्त हुई हो। यदि उक्त प्रश्नगत पट्टे की सम्पति, श्री गमना पुत्र गोमाजी माली की सम्पति होकर संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी सम्पति है तो संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी सम्पति का पट्टा कानूनन सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से जारी करना चाहिये, न कि किसी एक उत्तराधिकारी के नाम से।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा अप्रार्थी अमराराम पुत्र तलकाराम जी, निवासी– राजगढ़ के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 61 दिनांक 20–02–2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, लुणोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए ग्राम पंचायत, लुणोल यह जांच करे कि उक्त पट्टे से संबंधित भूमि मय मकान, श्री गमना पुत्र गोमाजी माली, निवासी– लुणोल के पुराने कब्जे भोगवटे व स्वामित्व का है या अप्रार्थी अमराराम पुत्र तलकाराम जी की स्वअर्जित सम्पति है अथवा अप्रार्थी अमराराम पुत्र तलकाराम जी को उक्त पट्टे से संबंधित भूमि मय मकान पारिवारिक विभाजन में प्राप्त हुआ है? तत्पश्चात् विधि अनुरुप कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही